कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला दुर्ग (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक / 740 /अ.जि.म./2021 दुर्ग, दिनांक 26/04/2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 737 दिनांक 24.04.2021 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुर्ग जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 06.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश की कंडिका 4 में वाक्यांश **आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 04.00 बजे तक दी जाती है, को विलोपित करते हुए निम्नानुसार नवीन कंडिका 4-ए अंतःस्थापित की जाती है :-**

4-ए. उपरोक्त अवधि के दौरान **आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक दी जाती है,**

इसी प्रकार उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश की कंडिका 5 में वाक्यांश **स्थानीय ऑनलाईन शॉप तथा ई-कामर्स सेवाओं यथा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। को विलोपित करते हुए निम्नानुसार नवीन कंडिका 5-ए अंतःस्थापित की जाती है :-**

5-ए. उपरोक्त अवधि के दौरान **सभी ऑनलाईन डिलीवरी जैसे अमेजॉन तथा फ्लिपकार्ट एवं अन्य द्वारा होम डिलीवरी पर प्रतिबंध होगा।**

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

(ऋचा प्रकाश चौधरी)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)

पृ.कमांक / 740 / अ.जि.म. / 2021 दुर्ग, दिनांक 26 / 04 / 2021

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग / भिलाई / भिलाई चरौदा / रिसाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सर्व इंसिडेन्ट कमान्डर, जिला दुर्ग को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. खाद्य नियंत्रक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. उप संचालक जनसंपर्क, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. लीड बैंक प्रबंधक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग (छ.ग.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)